एस डी ओ/ राजपुर

6-7-21 आज पत्रावली लोक कोर्ट लोक अदालत में पेश हुई वादी वकील ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया। डिमाण्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद के तथ्यों व डिमाण्ड पत्रावली से वादी का दावा साबित है अतः वादी का दावा डिक्री किया जाता है। डिक्री अनुसार लिखा जावे। शामिल पत्रावली कर लोक कोर्ट में जमा कराया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (राजपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~/कैम्प कोर्ट) कैम्प.......इकरोटिया

पीठासीन अधिकारीः– विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

शीशराम..................बनाम..................धनसिंह आदि

दावा बाबत..... इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज बमय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राकाअधि01955

मुकदमा नम्बर :– 237/05.10.2017
निर्णय दिनांकः– 06.07.2017

वादी की ओर से. वादी वकील की व प्रतिवादी की ओर से. प्रतिवादी वकील व पैरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 06.07.02017 को मुझ **विश्वामित्र मीना**, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– विवादित आराजी खसरा नम्बरान 723/0.0400 (0.03 बीघा), 724/0.0800 हैक्टे0 (0.06 बीघा), 725/0.1200 हैक्टे0 (0.10 बीघा), कुल किता कुल रकबा 24 हैक्टैयर (0.19 बीघा) वाके ग्राम नीमलाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के बजुर्गान का नाम व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 17 का नाम कलमजन किये जाने आदेश दिये जाते है। तथा खसरा नम्बर 724 में वादी का नाम शिकमी दर्ज है उसे व खसरा नम्बरान 723, 724, 725 में सोहनबाई बेवा व करणसिंह पुत्र मोहनलाल जाति जाट सा0 देह शिकमी को व खसरा नम्बर 723 में टेकचन्द पुत्र नेतराम, चन्दर पुत्र गोपाल जाट सा0 देह शिकमी दर्ज को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। एवं समस्त इंतकाल जो प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज व स्वीकार हुये है उन प्रविष्टियों को वादी के हक हिस्से तक नल एण्ड वोइड करार दिया जाता हैं **तथा वादी को आराजी खसरा नम्बरान** 723/0.0400 (0.03 बीघा), 724/0.0800 हैक्टे0 (0.06 बीघा), 725/0.1200 हैक्टे0 (0.10 बीघा), कुल किता कुल रकबा 24 हैक्टैयर (0.19 बीघा) वाके ग्राम नीमलाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण 1 से 17 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की अक्त आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखतल पैदा ना करें। मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर कैम्प में सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख....06.07.2017...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन **सहा.कलक्टर,कोटकासिम**
कैम्प कोर्ट.......इकरोटिया

Scanned by CamScanner